

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 320

प्रकरण क्रमांक -M-COM-2019-00590

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "सी.जी. ड्रीम", प्रमोटर-एस के ए बिल्डकॉन प्रा.लि.,
द्वारा-श्री संजय अग्रवाल, पता-जी.ई.रोड, संजय गॉरमेंट्स, बी.एम. वाय., चरोदा,
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"सी.जी. ड्रीम" पता-चरोदा, पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
18/07/2025	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "सी.जी. ड्रीम" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA300818000745 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 30.08.2018 से पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 16.04.2019 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 29.05.2018 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	